संख्या-266/2023/345/22-2-2022-17(91)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 मई, 2023

विषय:- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नौशाद पुत्र श्री कमरू, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर वर्तमान जनपद-शामली की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-7734/प्रोबेशन-2-ना0रोल/ (एम-10-01-2022) दिनांक 10.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नौशाद पुत्र श्री कमरू, ग्राम-मंसूरा, थाना-झिंझाना, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 03/04.10.2006 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रात्रि 02:30 बजे मीरहसन के सिर में तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान जिला अस्पताल, मुजफ्फरनगर में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-997/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-05, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 31.05.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.09.2021 तक 14 वर्ष 11 माह 13 दिन की अपरिहार तथा 17 वर्ष 02 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक, शामली द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने तथा इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति की हत्या के मामले में दोषी पाया गया है, मृतक का परिवार और मुकदमावादी भी बंदी के गांव के निवासी हैं। बन्दी की उम्र कम होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी के कारागार से रिहाई के पश्चात पुन: अपराध के कार्यो में संलिप्त होने, बन्दी की उम्र कम होने व पुन: अपराध करने में सक्षम होने, बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामजिक, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अभिमत दिनांक 21.08.2021 में अंकित किया है कि सिद्धदोष बन्दी नौशाद व वादी पक्ष एक ही गांव के निवासी हैं, बन्दी की उम्र कम होने, पुन: आपराधिक कार्यो में संलिप्त हो सकने के दृष्टिगत न्यायालय के मत में सिद्धदोष बन्दी नौशाद को समयपूर्व मुक्त किया जाना न्याय संगत नहीं होगा।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 03/04.10.2006 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रात्रि 02:30 बजे मीरहसन के सिर में तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान जिला अस्पताल, मुजफ्फरनगर में मृत्यु हो गयी। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु लगभग 37 वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

होने, बन्दी 06 भाई होने तथा मृतक के 03 भाई व 04 पुत्र होने के दृष्टिगत दोनों पक्षों में कभी भी प्रतिशोध की भावना से गंभीर अपराध कारित किये जाने, बन्दी शारीरिक रूप से अशक्त न होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया है। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु अभिमत नहीं दिया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नौशाद पुत्र श्री कमरू को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नौशाद (बन्दी संख्या-439/18) पुत्र श्री कमरू, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर वर्तमान जनपद-शामली की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय

विशेष सचिव।

संख्या-266/2023/354(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- सुश्री अर्चना सिंह अपर शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

6- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।